निर्वाचन अति आवश्यक

वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर

(निर्वाचन कार्मिक कोषांग)

आदेश

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर प्रतिनियुक्त होने वाले मतदान पदाधिकारियों का दिनांक–03.10.2020 से प्रथम चरण का प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ है, जो दिनाक 12.10.2020 तक चलेगा। मतदान कर्मियो द्वारा स्वास्थ संबंधी समस्याओ के आधार पर मतदान कार्य से मुक्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे है। आवेदन पत्र समर्पित करने वाले मतदान पदाधिकारियो का ससमय स्वास्थ का परीक्षण कराकर मतदान कार्य के लिए उपयुक्त नही होने की स्थिति में उक्त मतदान कर्मियो को डाटाबेस से नाम का विलोपन कर द्वितीय नियुक्ति पत्र निर्गत करने हेतु डाटाबेस तैयार किया जाना आवश्यक है।

अतः वर्णित परिस्थिति में आवेदन पत्र समर्पित करने वाले मतदान पदाधिकारियों के स्वास्थ का परीक्षण हेतु दिनांक– 13.10.2020 एवं दिनांक–14.10.2020 को जिला परिषद, ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली के सभाकक्ष में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली की अध्यक्षता में मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाता है। उक्त बोर्ड में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली आवश्यकता अनुसार अपने स्तर से चिकित्सक एवं अन्य कर्मी की प्रतिनियुक्ति करेंगे । उन्हे निदेशित किया जाता है कि उसी दिन निर्वाचन कार्मिक कोषांग, वैशाली को अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, वैशाली

ज्ञापांक–38/जि0नि0का0को0 दिनांक–4/10/2020

प्रतिलिपि – असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – उप निर्वाचन पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि विधि–व्यवस्था संधारण हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि – उप विकास आयुक्त, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – पुलिस अधीक्षक वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/10/20

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, वैशाली